



संख्या : 5081 / जी0एस0(शिक्षा) / A3-15 / 2022

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक / 6 सितम्बर, 2026

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण 251011102529 दिनांक 21.08.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें बजाज कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, चीनी मिल रोड़, गदरपुर, ऊधमसिंहनगर को बी0एड पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	बजाज कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, चीनी मिल रोड़, गदरपुर, ऊधमसिंहनगर।	बी0एड	100 सीट	2026-27

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- प्रश्नगत प्रस्ताव पर निर्णय मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका 1447/2025, दिनांक 20.05.2025 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संस्थान को प्रदान की गई अंतरिम राहत के क्रम में लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि संस्थान से प्राप्ति राशि हेतु निर्धारित मानकों/प्रक्रियाओं का अनुपालन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे, ताकि असामान्य परिस्थितियों में संस्थान को बिना किसी सहायता एवं बाहरी स्रोत के संचालित कराते हुए अध्ययनरत् छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के

अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया
Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 16-09-2026
15:08:55 (रेना जोशी)

कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 508/1/जी0एस0(शिक्षा)/A3-15/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 16-09-2026
16:01:54 (लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।